आईपी
वीआईपी

ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति

अंशदान हुआ कम, लाभ वही

ESI स्कीम से जुड़ने का अवसर यही

ESI योजना से जुड़ना अब पहले से हुआ ज़्यादा फायदेमंद

नियोक्ताओं के लिए अंशदान दर 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत और कर्मचारियों के लिए 1.75 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत किया गया।

कर्मचारियों के टेक होम सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी, जबकि नियोक्ताओं पर वित्तीय भार कम होगा।

ESI योजना के अंतर्गत मिलने वाले हितलाभ वही रहेंगे एवं उनमें कोई कमी नहीं होगी।

ESI Act संगठित क्षेत्र के कारखानों/संस्थानों जहां 10 या इससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हों, पर लागू होता है। प्रतिमाह 21000/– रु. तक का वेतन पाने वाले कर्मचारी **ESI** योजना के हितलाभों के पात्र हैं।

सत्यमेव जयते
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India
Website: www.labour.gov.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

Call Toll Free Number: 1800-11-2526, Medical Helpline No.: 1800-11-3839

3' x 4'_1

आईपी
वीआईपी
ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति

क.रा.बी.नि.
E S I C

ईएसआईसी - देश का एकमात्र संपूर्ण
"सामाजिक सुरक्षा" संगठन,
जो चिकित्सा (मेडिकल), बीमारी, मातृत्व, वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल,
मृत्यु, रोजगारजनित चोट, निःशक्तता और बेरोजगारी जैसे
सभी अनिवार्यता को समाविष्ट करता है।

ईएसआईसी योजना - गांधीवादी सिद्धांत
"योग्यता के अनुरूप अंशदान और
आवश्यकता के अनुसार हितलाभ"
पर आधारित है।
यह सिद्धांत समाज के न्यूनतम वेतन वर्ग के
बीमाकृत व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्यों को
उनकी अर्जित वेतन के अनुसार अंशदान का भुगतान कर
नकद हितलाभ और उचित चिकित्सा देखरेख
प्राप्त करने के लिए पात्र बनाता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India
Website: www.labour.gov.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

Call Toll Free Number: 1800-11-2526, Medical Helpline No.: 1800-11-3839

आईपी
वीआईपी

ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति

ईएसआई योजना के हितलाभ

चिकित्सा देखभाल के अलावा, हम पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं।

ईएसआई योजना के अधीन हितलाभ

चिकित्सा हितलाभ

हम आपकी सभी चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रखते हैं।

ईएसआईसी बीमा योग्य रोजगार में शामिल होने की तिथि से स्वयं एवं आश्रितजन के लिए उचित चिकित्सा देखरेख प्रदान करता है।

बीमारी हितलाभ

बीमारी के कारण अवकाश का मतलब आर्य अर्जन समाप्त होना नहीं है।

ईएसआईसी दो निरंतर हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक चिकित्सा छुट्टी के दौरान औसत दैनिक वेतन का 70 प्रतिशत नकद भुगतान करता है।

मातृत्व हितलाभ

हमारे हितलाभों के साथ आपके नवजात शिशु का स्वागत है।

ईएसआईसी मातृत्व छुट्टी के दौरान प्रसूति में 26 सप्ताह तक एवं गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक तथा कमीशनिंग माँ तथा दत्तक माँ को 12 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन का 100 प्रतिशत नकद भुगतान करता है।

नि:शक्तता हितलाभ

निःशक्तता का मतलब आय अर्जन से अक्षमता नहीं है।

ईएसआईसी अस्थायी निःशक्तता के मामले में चोट ठीक होने तक और स्थायी निःशक्तता के मामले में जीवन भर निरंतर मासिक पेंशन का भुगतान करता है।

आश्रितजन हितलाभ

जो आप पर निर्भर हैं वह हम पर भी निर्भर हैं।

ईएसआईसी रोजगार के दौरान चोट के कारण मृत्यु के मामले में आश्रितजनों के बीच नियत अनुपात में मासिक पेंशन का भुगतान करता है।

बेरोजगारी भत्ता

रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है।

ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर–रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में अधिकतम 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद भत्ता प्रदान करता है।

वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल

वृद्धावस्था के बाद भी स्वस्थ जीवन का आनंद उठाएं।

ईएसआईसी अपने ईएसआई अस्पतालों तथा औषधालयों में सेवानिवृत्त/सेवा पूरी कर चुके बीमाकृत व्यक्तियों के लिए चिकित्सा हितलाभ प्रदान करता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

निःशक्तता का मतलब सम्पूर्ण कौशल की हानि नहीं है।

ईएसआईसी, रोजगार के दौरान चोट लगने से हुई निःशक्तता के मामले में वसूला गया वास्तविक शुल्क या ₹123/– प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करता है।

शारीरिक पुनर्वास

रोजगार के दौरान चोट लगने का अर्थ दैनिक आजीविका की हानि नहीं।

रोजगार के दौरान चोट लगने के कारण शारीरिक निःशक्तता के मामले में बीमाकृत व्यक्ति जब तक कृत्रिम अंग केन्द्र में भर्ती रहता है, उसे अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की दर से भुगतान किया जाता है।

अन्य हितलाभ

प्रसूति व्ययः

जहां ईएसआई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां ईएसआईसी दो मामलों तक ₹5000/– प्रति मामले की दर से भुगतान करता है।

अंत्येष्टि व्यय

ईएसआईसी मृतक बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि के लिए मूल व्यय या अधिकतम ₹15,000/– का नकद भुगतान करता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India
Website: www.labour.gov.in

सत्यमेव जयते

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

Call Toll Free Number: 1800-11-2526, Medical Helpline No.: 1800-11-3839

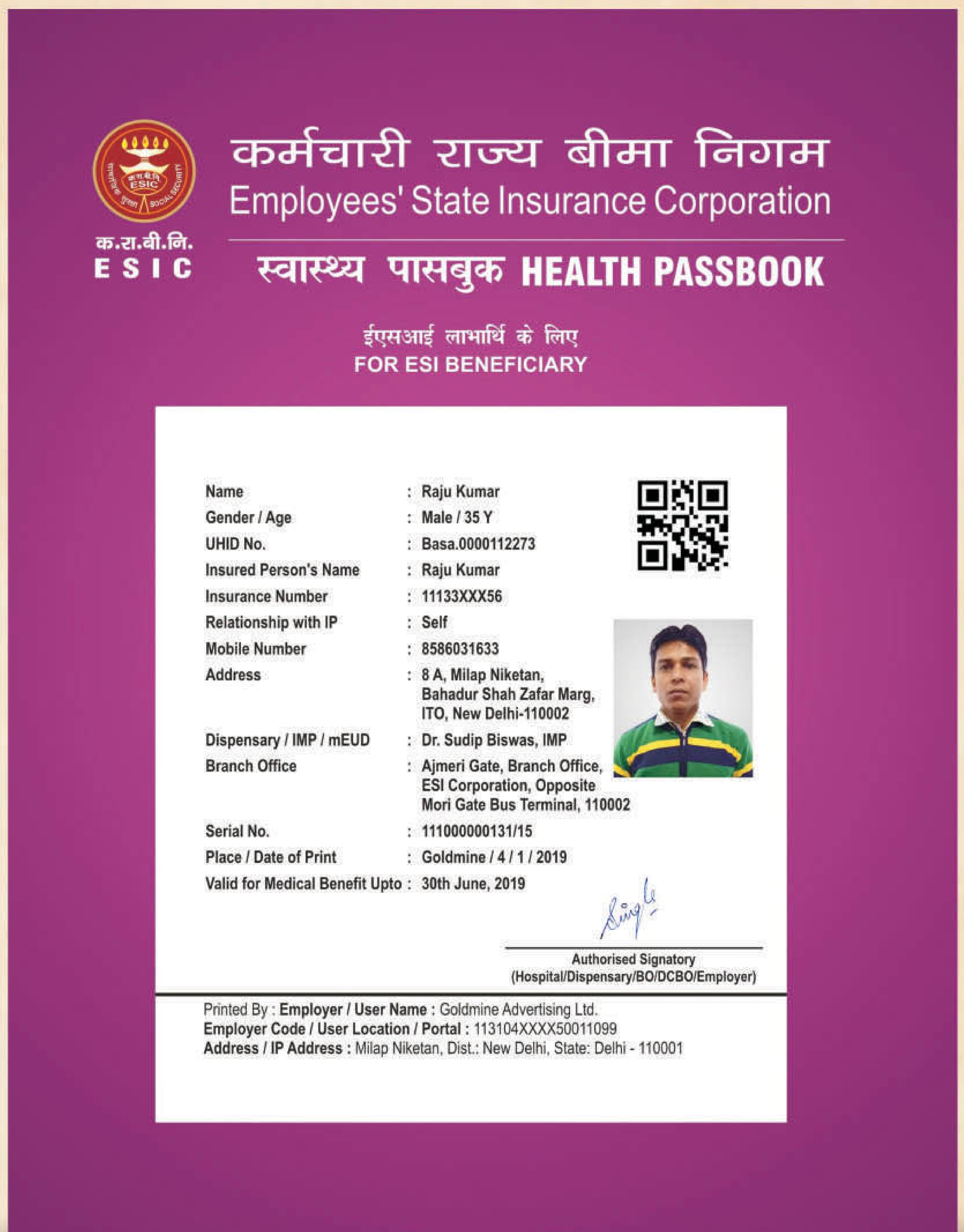

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
क.रा.बी.नि.
ESIC
स्वास्थ्य पासबुक HEALTH PASSBOOK

ईएसआई लाभार्थि के लिए
FOR ESI BENEFICIARY

Name	:	Raju Kumar
Gender / Age	:	Male / 35 Y
UHID No.	:	Basa.0000112273
Insured Person's Name	:	Raju Kumar
Insurance Number	:	11133XXX56
Relationship with IP	:	Self
Mobile Number	:	8586031633
Address	:	8 A, Milap Niketan, Bahadur Shah Zafar Marg, ITO, New Delhi-110002
Dispensary / IMP / mEUD	:	Dr. Sudip Biswas, IMP
Branch Office	:	Ajmeri Gate, Branch Office, ESI Corporation, Opposite Mori Gate Bus Terminal, 110002
Serial No.	:	111000000131/15
Place / Date of Print	:	Goldmine / 4 / 1 / 2019
Valid for Medical Benefit Upto	:	30th June, 2019

Authorised Signatory
(Hospital/Dispensary/BO/DCBO/Employer)

Printed By : **Employer / User Name :** Goldmine Advertising Ltd.
Employer Code / User Location / Portal : 113104XXXX50011099
Address / IP Address : Milap Niketan, Dist.: New Delhi, State: Delhi - 110001

स्वास्थ्य पासबुक

एक नज़र में आपके उपचार का ब्यौरा

स्वास्थ्य पासबुक का उपयोग लाभार्थी की पहचान, नैदानिक जाँच और बीमा चिकित्सा व्यवसायी के परामर्श सलाह का रिकॉर्ड रखने के लिए सरल उपयोग प्रक्रिया के रूप में किया जाता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India
Website: www.labour.gov.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

Call Toll Free Number: 1800-11-2526, Medical Helpline No.: 1800-11-3839

आईपी वीआईपी

ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति

आशोधित आईएमपी योजना

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

धनवंतरी मोबाइल ऐप स्थानीय रूप से पैनलबद्ध निजी चिकित्सा व्यवसायियों, दवा विक्रेताओं और निदान केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बीमाकृत व्यक्ति और उनके परिवार को सक्षम बनाता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India
Website: www.labour.gov.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

Call Toll Free Number: 1800-11-2526, Medical Helpline No.: 1800-11-3839

आईपी
वीआईपी

ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति

ईएसआईसी टोल फ्री नंबर 1800 11 2526
हेतु आईवीआर/हेल्प डेस्क सुविधा
प्रश्नों/शिकायतों का त्वरित निवारण

कॉल करने वालों के प्रश्नों पर ध्यान देकर, जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

शिकायतों/प्रश्नों को प्राप्त किया जाता है और शिकायतों/प्रश्नों का मौके पर ही निवारण

अधिक समय लेने वाली शिकायतों के लिए विशिष्ट टिकट नंबर दिया जाता है और शीघ्र निवारण के लिए ईएसआईसी के पीजी पोर्टल को अग्रेषित किया जाता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India
Website: www.labour.gov.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

Call Toll Free Number: 1800-11-2526, Medical Helpline No.: 1800-11-3839

आईपी
वीआईपी

ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति

कामगारों को राहत

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

ईएसआई अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्याप्त कामगारों के लिए लाभप्रद योजना।

बीमाकृत व्यक्ति के बेरोज़गार होने की स्थिति में और नये रोज़गार की तलाश के दौरान नकद राहत राशि का सीधे बैंक खाते में भुगतान।

इसके लिए बेरोजगारी के पूर्व 2 वर्षों में प्रत्येक अंशदान अवधि में कम–से–कम 78 दिनों का अंशदान किया गया हो।

सत्यमेव जयते
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India
Website: www.labour.gov.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

Call Toll Free Number: 1800-11-2526, Medical Helpline No.: 1800-11-3839

आईपी
वीआईपी

ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति

Dispensary - cum - Branch Office
Ghatshila (Jharkhand)

एक ही स्थान पर सेवाओं का वितरण

औषधालय सह शाखा कार्यालय (डीसीबीओ)

एक ही छत के नीचे औषधालय तथा शाखा कार्यालय दोनों की उपलब्धता।

बीमाकृत व्यक्ति को एक ही स्थान पर बर्हिरोगी सेवाओं और नकद हितलाभों का भुगतान।

द्वितीयक देखभाल हेतु परामर्श, बीमाकृत व्यक्ति के बिलों का भुगतान, पैलनबद्ध दवा विक्रेता/निदान केन्द्र के बिलों का भुगतान तथा बीमाकृत व्यक्तियों/ नियोक्ताओं को हेल्प डेस्क सेवाएं उपलब्ध कराना।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India
Website: www.labour.gov.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

Call Toll Free Number: 1800-11-2526, Medical Helpline No.: 1800-11-3839

आईपी वीआईपी

ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति

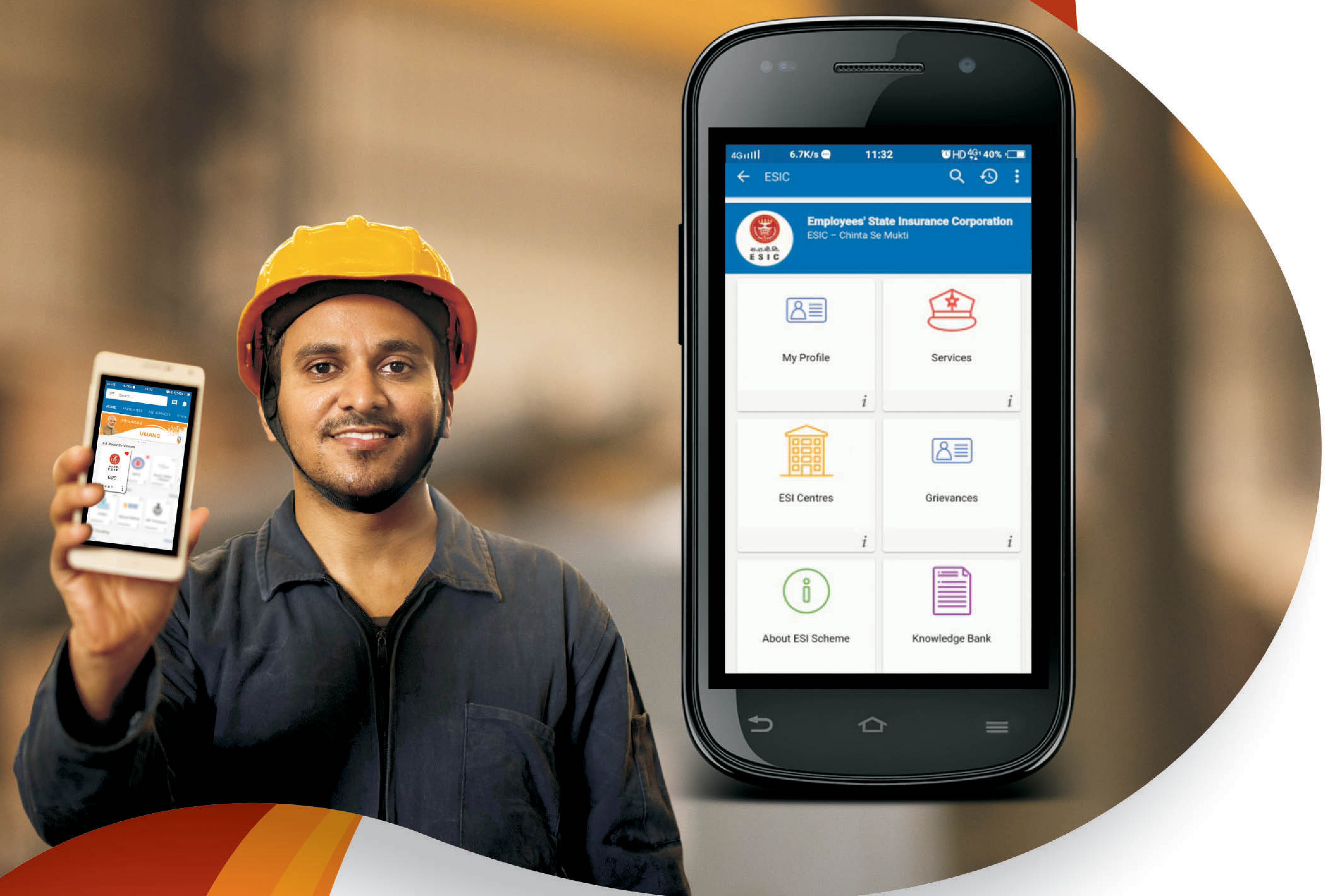

बीमाकृत व्यक्तियों का सशक्तिकरण

'ईएसआईसी-चिन्ता से मुक्ति' मोबाइल ऐप

'ईएसआईसी–चिन्ता से मुक्ति' मोबाइल ऐप, भारत सरकार के उमंग ऐप प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। उमंग ऐप डाउनलोड करने के लिए **http://goo.gl/BZUv9u** पर क्लिक करें।

बीमाकृत व्यक्ति ईएसआई अंशदान के विवरण, व्यक्तिगत प्रोफाइल, दावे की स्थिति, ईएसआईसी हितलाभ संबंधी पात्रता की जांच कर सकता है।

स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर नॉलेज बैंक तथा ईएसआई योजना के हितलाभों पर श्रव्य–दृश्य सामग्री उपलब्ध।

ईएसआईसी संबंधी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा।

सत्यमेव जयते
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India
Website: www.labour.gov.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

Call Toll Free Number: 1800-11-2526, Medical Helpline No.: 1800-11-3839

3' x 4'_9